कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दुरभाष (कार्यालय) 07781–252216 (फैक्स) 252215
Email – narayanpur.cg@nic.in

–: आदेश :–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/610/कोविड–19/2020 नारायणपुर दिनांक 24.07.2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जिसे पूरे विश्व में बड़ी महामारी घोषित किया गया है। देश के साथ ही, राज्य में भी कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नारायणपुर जिले में भी विशेषतः नगर पालिका परिषद नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। क्वांरटीन केन्द्रों के अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज दिनांक तक कुल 155 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान नारायणपुर जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार जिले में कोरोना पॉजीटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेन्मेंट जोन बनाएँ गए हैं। जिले में आज दिनांक को 18 कंटेन्मेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसके बावजूद जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु विशेष रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले नगरीय क्षेत्र में तत्काल एहतियातन कदम उठाये जाये। (COVID-19) के प्रसार को देखते हुए इसे रोकने के लिए कड़े व्यक्तिगत/सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः COVID-19 वायरस संक्रमण से बचाव एवं इसके संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि/2020, दिनांक 18.07.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 359/स.सा.प्र.वि/2020, दिनांक 20.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 536/कोविड–19/2020, दिनांक 26.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये नगरपालिका क्षेत्र नारायणपुर के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(क) **महामारी रोग अधिनयम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 27.07.2020 की रात्रि 12.01 बजे से दिनांक 02.08.2020 की रात्रि 11.59 बजे तक के लिये निम्नानुसार गतिविधियां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि :–**

1. अनावश्यक, अपने घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है ।

24/07/2020

Scanned with CamScanner

2. नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक सेवाएं/वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

3. नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत इस आदेश में अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, हाट–बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी।

4. चिकन, मटन, मछली के विक्रय प्रतिबंधित रहेगा ।

5. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर निकलने पर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में 02 से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

6. सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

7. समस्त स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स/व्यायामशाला/स्टेडियम/खेल परिसर/सार्वजनिक पार्क/सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।

8. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

9. सभी सामाजिक/राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियॉ/रैली एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

(ख) फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :–

1. नगर पालिका परिषद, नारायणपुर क्षेत्र में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन, प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नही किया जायेगा, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालय/अधिकारी–कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय/अधिकारी–कर्मचारी जैसे कि राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरबिग्रेड, साफ–सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं यथा अस्पताल पूर्वानुसार संचालित रहेंगी, किन्तु कार्यालयों में आम नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। केवल कार्यालय प्रमुख की अनुमति से आगन्तुक प्रवेश कर पायेंगे ।

24/07/2020

Scanned with CamScanner

इन सेवाओं में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी को आवागमन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यकतानुसार 'पास' प्रदाय किये जायेंगे। 'पास' जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नारायणपुर को अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, शेष शासकीय कार्यालयों के अधिकारी–कर्मचारी को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) एवं सदैव मोबाईल/टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे एवं आवश्यक नस्तीयों/डाक के लाने–लेजाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अत्यंत आवश्यकता होने पर अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाये। इसके लिए कन्ट्रोल रूम (दूरभाष नंबर 07781–252214) पर विभाग के जिला प्रमुख द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का विवरण नोट कराए जाने पर आवागमन अनुमति हेतु तदाशय के निर्देश तत्काल जांच नाका को प्रसारित किए जायेंगे ।

2. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।
3. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को आवागमन की अनुमति होगी।
4. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) चालू रहेंगे।
5. अग्निशमन सेवायें की अनुमति रहेगी।
6. ए.टी.एम. संचालित होंगे। नगद डालने हेतु वाहन एवं कर्मी के आवागमन की अनुमति होगी।
7. पोस्टल सेवायें चालू रहेंगे।
8. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें चालू रहेंगे।
9. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस चालू रहेंगे।
10. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों को आवागमन अनुमति होगी परंतु संबंधित व्यक्ति का सक्षम प्राधिकारी से पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा ।
11. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित सेवा संचालन की अनुमति होगी।
12. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं शाम को 5.00 बजे से 7.00 बजे तक दूध बांटने/विक्रय हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
13. न्यूज पेपर हॉकर अखबार वितरण हेतु प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक की अनुमति होगी ।
14. मेडिकल दुकान/दवाई की दूकानें प्रातः 10.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खुल सकेंगे। परंतु जिला अस्पताल परिसर के 50 मीटर के दायरे के मेडिकल दुकाने 24 घंटे खुली रह सकेंगी।
15. समस्त मेडिकल दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि दुकान पर आए किसी व्यक्ति को कोविड–19 के लक्षण दिखाई दे रहे हों अथवा इन लक्षणों से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए दवा की मॉग करने पर डॉक्टर द्वारा जारी दवा पर्ची के अनुसार ही दवा दिया जाना अनिवार्य है, तथा बगैर डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची के दवा नही दिया जावे। मेडिकल दुकानों में आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रूम (टेलीफोन नम्बर 07781-252245) में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

24/07/2020

Scanned with CamScanner

16. फुटकर सब्जी, फल एवं अण्डा दुकानें निर्धारित स्थल पर प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक संचालित की जा सकेगी। निम्न स्थलों को सब्जी/फल/अण्डा दुकानों हेतु, निर्धारित किया जाता है :– (i) साप्ताहिक बाजार बखरूपारा,
(ii) रामकृष्ण आश्रम के पास,
(iii) बुधवारी बाजार स्थल
17. थोक सब्जी, फल एवं अण्डा विक्रेताओं के वाहनों के नगरपालिका क्षेत्र में संचालन एवं थोक विक्रय हेतु प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक का समय एवं स्थान–साप्ताहिक बाजार स्थल, बखरूपारा नियत किया जाता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
18. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का परिवहन किये जाने की अनुमति होगी ।
19. पंजीयन कार्यालय का संचालन होगा किन्तु केवल वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन अपाईंटमेंट प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी ।
20. कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों (इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल हैं) को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अनुमति होगी।
21. कृषि आदान विक्रय ईकाईयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को इसके सप्लाई चेन सहित प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक अनुमति होगी।
22. नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत घोषित सभी कंटेन्मेट जोन हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

(ग) **नगर पालिका परिषद नारायणपुर सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–**

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
3. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में नगदी की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

(घ) **अन्य :–**

1. व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जिला आवागमन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई–पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्वारेंटीन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
2. स्वास्थ्य अमलों को कोविड–19 सहित अन्य स्वास्थ्यगत जांच हेतु आवामगन की अनुमति होगी । इस प्रयोजन में संलग्न समस्त स्वास्थ्य अमलों को निर्धारित प्रारूप में पास जारी किया जावे ।

Scanned with CamScanner

3. स्वास्थ्यगत जांच हेतु मरीजों के साथ 01 अन्य व्यक्ति को चिकित्सालय जाने की अनुमति होगी। चेक पोस्ट/जॉच नाका को पार करते समय ऐसे व्यक्तियों का विवरण नाका प्रभारी द्वारा रजिस्टर में नोट किया जाएगा। चिकित्सालय में जांच/ईलाज हेतु आने वाले समस्त मरीजों को जांच करने वाले चिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान किया जावे, जिसमें संबंधित के ईलाज की तिथी एवं समय अंकित हो । चिकित्सालय से वापसी के दौरान उसी चेक पोस्ट/जॉच नाका पर, चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदाय टोकन दिखाया जाकर एण्ट्री करवाना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यक्ति चिकित्सालय जाने हेतु चेकपोस्ट पार करने के उपरांत वापसी में जांच पर्ची/टोकन को दिखाकर, रजिस्टर में एन्ट्री नही कराते हैं तो यह प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन माना जाकर दण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी ।

4. नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले फैक्ट्री, विनिर्माण कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :–

क– यथासंभव श्रमिकों/कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/कार्यस्थल के अंदर करनी होगीं। यदि ऐसा नही कर पाते है तो श्रमिकों/कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाइयां स्वंय करें । साथ ही उनके कोई श्रमिक/कर्मचारी कोविड–19 पॉजिटीव पाए जाते हैं तो उनके भर्ती होने तथा इलाज का व्यय उक्त संस्थान को वहन करना होगा ।

ख– संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित् करना होगा ।

5. विवाह कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं अनुमति में विहित संख्यानुसार ही व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । यह संख्या किसी भी स्थिति में 50 से अधिक नही होगी किन्तु परिस्थिति/स्थान को देखते हुए कम की जा सकती है ।

6. स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सक, अधिकारी/कर्मचारियों तथा मैदानी अमलों के लिए पास मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी किया जायेगा।

7. पशु चिकित्सक, विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों तथा मैदानी अमलों के लिए पास उप संचालक पशुचिकित्सा सेवाएँ नारायणपुर द्वारा जारी किया जायेगा।

8. उपरोक्त बिंदु 06 एवं 07 के अतिरिक्त अन्य समस्त पास जारी करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर को अधिकृत किया जाता है।

9. अंतिम संस्कार/अन्त्येष्टि संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति होगी । मृत व्यक्ति के अंतिम दर्शन के समय पर भी यह सीमा लागू होगी। कार्यक्रम में निर्धारित व्यक्तियों की सीमा एवं फिजिकल डिस्टेंस एवं शासन के अन्य नियमों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा ।

10. क्वरेंटीन सेंटर एवं होम क्वरेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला प्रशासन, नगरपालिका, पुलिस एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करेंगे।

Scanned with CamScanner

(ङ) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा–188 के तहत दण्डनीय होंगे।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त अदेशों को केवल नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र के लिए अधिक्रमित करते हुए, यह आदेश जारी किया जा रहा है। नारायणपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।

यहाँ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि नारायणपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत नारायणपुर जिले में पूर्व से लागू धारा–144 के अधीन यह आदेश जारी किया जा रहा है। इस आदेश की समस्त शर्ते दिनॉक 02.08.2020 की रात्रि 11.59 बजे से स्वतः समाप्त हो जाएंगी एवं इस आदेश के लागू होने के पूर्व नगरपालिका नारायणपुर क्षेत्र में लागू समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्ते पुनः लागू हो जाएंगी।

आज दिनांक 24 जून 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

24/07/2020

(अभिजीत सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला नारायणपुर

पृ. क्रमांक /611/कोविड–19/2020 नारायणपुर दिनांक 24.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, नारायणपुर को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. तहसीलदार, तहसील नारायणपुर एवं ओरछा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। सभी उल्लेखित स्थानों पर मूनादी करावें ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला नारायणपुर

Scanned with CamScanner